

अधिसूचना

मुम्बई, 19 अप्रैल, 2011

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/2/12648.— भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय फिरोज़ गाँधी मार्केट, लुधियाना-141001 में स्थित है द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोकहित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति संविधान (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 28 अप्रैल, 2011 को प्रारम्भ होने वाली और 27 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिभूतियों में संविदाओं की बाबत इसमें इसके नीचे कथित अथवा इसके पश्चात् यथा विहित या अधिरोपित शर्तों के अध्वधीन प्रदान करता है :

- एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा अधिरोपित समस्त विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् ही व्यापार प्रारम्भ कर सकता है ।
- एक्सचेंज ऐसी शर्तों का अनुपालन करेगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत की जायें ।

डॉ. के. एम. एब्रहाम, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन III/4/69-जैडबी/11/असा.]

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th April, 2011

No. LAD-NRO/GN/2011-12/02/12648.—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for renewal of recognition made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by Ludhiana Stock Exchange Limited having its registered office at Feroze Gandhi Market, Ludhiana-141001 and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said Exchange under Section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 28th day of April, 2011 and ending on 27th day of April, 2012 in respect of contracts in securities subject to the conditions stated herein below or as prescribed or imposed here after :

- The Exchange can commence trading only after complying with all the regulatory requirements imposed by Securities and Exchange Board of India.
- The Exchange shall comply with such conditions as may be stipulated by Securities and Exchange Board of India from time to time.

Dr. K. M. ABRAHAM, Whole-time Member

[ADVT. III/4/69-ZB/11/Exty.]